"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 फरवरी 2008—फाल्गुन 10, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2008

क्रमांक ई-1-18/2007/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 4/6/2007-EO (MM-I), दिनांक 9-1-2008 के तारतम्य में डॉ. एस. के. राजू, भा. प्र. से. (C G:1998), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को निज सचिव (Private Secretary, केन्द्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य मामले श्री पी. आर. किन्डिया, नई दिल्ली) के पद पर नियुक्ति के लिये तत्काल प्रभाव से सौंपी जाती है.

2. श्री अजय पाण्डे, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक श्री एस. के. राजू, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2008

क्रमांक ई-1-1/2008/एक/2.—श्री बी. एल. तिवारी, भा. प्र. से. (1996), संयुक्त सचिव, गृह विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, जनसम्पर्क विभाग पदस्थ किया जाता है तथा इन्हें साथ ही संचालक, जनसम्पर्क का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2008

क्रमांक ई-1-9/2007/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान (रु. 18400-500-22400) में पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री डी. के. श्रीवास्तव, (1992)	संचालक, महिला एवं बाल विकास एवं पदेन विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग.	आयुक्त सह संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग.
2.	श्री एल. एन. सूर्यवंशी, (1992)	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम.	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं अतिरिक्त रूप से प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम.
3.	श्री एस. के. बेहार, (1992)	संचालक, उद्योग एवं पदेन विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.	आयुक्त, उद्योग सह पदेन सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.

2. श्री डी. के. श्रीवास्तव एवं श्री एल. एन. सूर्यवंशी द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 (1) के तहत आयुक्त, महिला एवं बाल विकास एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक ई-1-21/2003/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1999 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारी को, आवंटन वर्ष से नौ वर्ष की अवधि दिनांक 1-1-2008 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा. प्र. से. (वेतन) नियम, 1954 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत, उक्त तिथि (1-1-2008) से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (रु. 12750-375-16500) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
1.	श्री सोनमणि बोरा, (सी जी : 1999)	कलेक्टर, कबीरधाम

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2008

क्रमांक: पार्ट एफ 2-2/2008/1-8.—श्री चन्द्रकांत उईके (रा. प्र. से.) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2008

क्रमांक ई-7/35/2004/1/2.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से., क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को दिनांक 14-2-2008 से 23-2-2008 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24-2-2008 का शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विश्वकर्मा, आगामी आदेश तक क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री विश्वकर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वकर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री विश्वकर्मा के उक्त अवकाश अवधि में श्री निर्मल कुमार खाखा, उपायुक्त, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2008

क्रमांक 264/83/2008/1-8/स्था.— श्री सी. एस. डेहरे, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 24-12-2007 से 3-1-2008 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सी. एस. डेहरे को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. एस. डेहरे अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2008

क्रमांक 266/82/2008/1-8/स्था.— श्री पी. एस. तिवारी, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 28-1-2008 से 2-2-2008 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. तिवारी को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2008

क्रमांक एफ 3-13/2008/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, कालम नं. (3) में वर्णित पुलिस थानों के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	थाने का नाम	उस पुलिस थाने का नाम (तह. जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना- आरंग, जिला रायपुर	थाना-मंदिरहसौद, जिला रायपुर	लखौली	146/13

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2008

क्रमांक/1183/25-3/2008/आजावि.—विभाग के आदेश क्रमांक/987/25-3/2008/आजावि दिनांक 7 फरवरी, 2008 द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 की कण्डिका 9 के प्रावधानानुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 की कण्डिका 9 (छ) के प्रावधान अनुसार माननीय मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, आदिमजाति मंत्रणा परिषद् के द्वारा मनोनीत जनजातीय सलाहकार परिषद् के निम्नांकित 3 अनुसूचित जनजाति सदस्यों को विभाग के आदेश दिनांक 7 फरवरी के अनुक्रमांक 7 के तहत राज्य स्तरीय निगरानी समिति का सदस्य नियुक्त करता है :-

7.1	माननीय श्री बलीराम कश्यप, सांसद, बस्तर	-	सदस्य
7.2	माननीय श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़	-	सदस्य
7.3	माननीय श्री राम विचार नेताम, विधायक, पाल एवं मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल एवं सहकारिता विभाग, रायपुर.	-	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

कृषि (पशुपालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 8-104/35/गौसेआ/2007.—छ. ग. राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष श्री पवन दीवान द्वारा अध्यक्ष पद से दिए गए त्यागपत्र को स्वीकार करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा छ. ग. राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में आयोग के वर्तमान सदस्य श्री रमेश दुबे पिता श्री शिवाधीन दुबे, जिला बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 8-104/35/गौसेआ/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग में अशासकीय सदस्य के रूप में नामांकित करता है :—

1. श्री गोपाल शर्मा, खरसिया, जिला रायगढ़.
2. श्री हरिभाई जोशी, बंजारीधाम, रायपुर
3. श्री सेवाराम जी अग्रवाल, जिला सरगुजा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवध बिहारी, सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2008

क्र./651/एफ-14/35/2007/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक-7478/12079/14-1 भोपाल, दिनांक 22-12-1973 द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण, बिलासपुर, जिला बिलासपुर के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थानों पर बने किसी संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, उपमण्डी (फल सब्जी)

प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् —

स्थान

ग्राम तिफरा (प. ह. नं. 23) तहसील एवं जिला, बिलासपुर में स्थित खसरा नं. 1416/क, ख, ग, घ, ङ एवं च रकबा 41.78 एकड़ में से 25 एकड़ भूमि—

सीमायें—

1.	उत्तर में	-	नाला
2.	दक्षिण में	-	सड़क
3.	पूर्व में	-	रेलवे लाईन
4.	पश्चिम में	-	शांति निकेतन की प्रस्तावित भूमि

Raipur, the 12th February 2008

No./651/F-14/35/2007/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 5 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares that with effect from the date of its publication in the Official Gazette, the following places including any structure, enclosures, open place or locality shall be sub-market (Fruit-Vegetable) yard in the market area of market yard. Bilaspur. District Bilaspur as declared vide the departmental notification No. 7478/12079/14-1, Bhopal dated 22-12-1973, namely :—

PLACE

Land Bearing Khasara No. 1416/1 ka, kha, ga, gha, anga and cha of area 25 acres out of total Rakba 41-78 acre land situated at village Tifara (Patwari Halka No. 23) in Tahsil and District Bilaspur surrounded by,—

1.	North side	-	Drain
2.	South side	-	Road
3.	East side	-	Railway Line
4.	West side	-	Proposed land of Shanti Niketan.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2008

क्र./657/एफ-14/36/2007/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक-2337-3971 चौदह-3 भोपाल, दिनांक 16-08-1975 द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण, रायपुर, जिला-रायपुर के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थानों पर बने किसी संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उपमण्डी (फल सब्जी) प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् —

स्थान

ग्राम तुलसी (प. ह. नं. 111) तहसील एवं जिला, रायपुर में स्थित खसरा नं. 677/1-2 रकबा 21.859 हैक्टेयर भूमि—

सीमायें—

1.	उत्तर में	-	शमशान घाट खसरा नं. 676 की निजी भूमि
2.	दक्षिण में	-	घास जमीन खसरा नं. 691
3.	पूर्व में	-	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की जमीन ख. नं. 677 का टुकड़ा
4.	पश्चिम में	-	बारांडेरा जाने वाली सड़क एवं मेला स्थल ख. नं. 576/1

Raipur, the 12th February 2008

No./657/F-14/36/2007/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 5 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares that with effect from the date of its publication in the Official Gazette, the following places including any structure, enclosures, open place or locality shall be sub-market (Fruit-Vegetable) yard in the market area of market yard, Raipur. District Raipur as declared vide departmental notification No. 2337-3971, XIV-3 Bhopal dated 16-08-1975, namely :—

PLACE

Land Bearing Khasara No. 677/1-2, of area 21.859 hac. land situated at village Tulsi (Patwari Halka No.111) in Tahsil and District Raipur surrounded by,—

1. North side - Private land of Shamshan Ghat Khasara No. 676
2. South side - Grass Land Khasara No. 681
3. East side - Land of Central Reserve Police Force Part of Khasara No. 677
4. West side - Road to Baradera and Trade site Khasara No. 576/1.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2008

क्रमांक/244/बिलाईगढ़/भू-अर्जन अधि./वाचक/वर्ष 2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	पचरी प. ह. नं. 04	475	0.048	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक/284/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	सिरपुर प. ह. नं. 09	0.53	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग रायपुर.	पहुंच मार्ग निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक/144/अ. वि. अ./भू-अर्जन/01 अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	साजापाली प. ह. नं. 01	4.77	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	छिरांपाली जलाशय के उलट निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक/146/अ. वि. अ./भू-अर्जन/02 अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	बहेरापाली प. ह. नं. 01	3.18	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	छिर्रापाली जलाशय के बायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 15 जनवरी 2008

क्रमांक-क/ भू-अर्जन/1.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	उमरेली प. ह. नं. 07	1.122	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	नवापारा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 15 जनवरी 2008

क्रमांक-क/ भू-अर्जन/2.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	खरवानी प. ह. नं. 08	0.194	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	सराईपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 15 जनवरी 2008

क्रमांक-क/ भू-अर्जन/3.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	सोहागपुर प. ह. नं. 23	0.307	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	महुआडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 15 जनवरी 2008

क्रमांक-क/ भू-अर्जन/4.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	महोरा प. ह. नं. 05	0.311	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	चाम्पा शाखा नहर अंतर्गत महोरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 15 जनवरी 2008

क्रमांक-क/ भू-अर्जन/5.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	गितारी प. ह. नं. 05	0.522	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	चाम्पा शाखा नहर अंतर्गत महोरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2008

क्रमांक/1185/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	कोपेडीह प. ह. नं. 07	3.393	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बॅराज सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2008

क्रमांक/1185/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	तुमड़ीबोड़ प. ह. नं. 07	3.838	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बॅराज सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2008

क्रमांक/1185/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मचानपार प. ह. नं. 07	10.127	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बॅराज सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2008

क्रमांक/1185/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	धौराभांठा प. ह. नं. 07	14.912	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बॅराज सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2008

क्रमांक/1185/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	आलीखूंटा प. ह. नं. 07	3.920	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बॅराज सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2008

क्रमांक/1185/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	पथर्रा प. ह. नं. 14	0.53	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	सुरही व्यपवर्तन नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक 08/अ-82/2004-05.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सोढ़ाकला, प. ह. नं. 3	2.27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	अट्‌डडा माइनर नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक 09/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	आमामुडा प. ह. नं. 5	0.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	बानाबेल माइनर नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक 10/अ-82/2004-05.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रिगरिगा प. ह. नं. 1	5.88	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	खोगसरा व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक 11/अ-82/2004-05.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पोडी प. ह. नं. 7	2.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	माइनर नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक 17/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कोनचरा प. ह. नं. 3	11.64	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	खोगसरा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक 19/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	केन्दाडाड़ प. ह. नं. 2	15.74	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	जेवस व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक 20/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मजगवां प. ह. नं. 2	6.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	जेवस व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक 33/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पचरा प. ह. नं. 5	0.58	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चॉपी जलाशय डूबान क्षेत्र के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक 03/अ-82/2004-05.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नगोई प. ह. नं. 1	1.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	बिटकुली माइनर नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक 04/अ-82/2004-05.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बिटकुली प. ह. नं. 1	6.66	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	खोगसरा व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक 05/अ-82/2004-05.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	अट्डडा प. ह. नं. 3	15.48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	अट्डडा माइनर नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक 07/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बानाबेल प. ह. नं. 5	2.38	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	बानाबेल माइनर नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक 08/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	खैरझिटी प. ह. नं. 5	2.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	खैरझिटी माइनर नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लांन) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक 12/अ-82/2004-05.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	जरगा प. ह. नं. 3	2.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	कोनचरा वितरक नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक 02/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	बिटकुली	4.30	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	मुख्य नहर निर्माण हेतु (धौरामुडा जलाशय हेतु)

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक 03/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	धौरामुड़ा	3.35	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	मुख्य नहर एवं वेस्ट वियर निर्माण हेतु. (धौरामुड़ा जलाशय)

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक/7/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-भण्डारीपारा, कांकेर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.62 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	58/1	1.62
योग		1.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांकेर-मर्दापोटी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 17 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-लेमरू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.963 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	295/1	0.081
	295/2	0.142
	295/3	0.081
	295/4	0.081
	295/5	0.081
	399	0.049
	404/1	0.121
	629	0.328
योग	8	0.963

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लेमरू-कुटुरूवां, श्यांग मार्ग पर चोरनई नाला पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 दिसम्बर 2007

रा. प्र. क्र./2/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सामरी (कुसमी)
- (ग) नगर/ग्राम-उदरसई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.518 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	173	0.121
	178	0.109
	175/1441	0.073
	181	0.057
	175	0.085
	259	0.073
योग	6	0.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-उदरसई सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 जनवरी 2008

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सामरी (कुसमी)
- (ग) नगर/ग्राम-डीपाडीह कला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.266 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	904	0.024
	902	0.077
	899	0.101
	903	0.024
	900	0.040
योग	5	0.266

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- डीपाडीह कला कोठली मार्ग पर गलफुल्ला सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 25 जनवरी 2008

क्रमांक 02/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-बेमेतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
302/1	0.044
योग	0.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुड़पार जलाशय योजना में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 जनवरी 2008

क्रमांक 01/अ-82/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गाडामोर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-04.59 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
780	1.76
779	0.65
785	0.33
787	0.19
781	0.19
786	0.51
783/1	0.18
788	0.25
784	0.35
783/2	0.18
योग	4.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झाल जलाशय योजना में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 जनवरी 2008

क्रमांक 02/अ-82/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खपरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.35 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
580	0.01
588	0.12
590	0.36
602	0.30
601	0.25
607	0.20
581	0.01
589/1	0.38
600	0.78
605/2	0.20
604	0.25
612	0.55
587	0.15
591/1	0.44
603	0.44
608	0.30
610	0.44
611	0.54
589/2	0.37
605/1	0.19
591/2	0.20
609	0.28
606	0.59
योग	7.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झाल जलाशय योजना में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 जनवरी 2008

क्रमांक 03/अ-82/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तिलईपार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.96 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.13
4/1	0.09
177/1	0.09
239	0.14
303	0.03
232/3	0.04
305	0.06
234	0.10
2/5	0.03
4/2	0.15
177/2	0.01
183/1	0.06
224	0.05
182	0.11
291	0.07
237	0.03
2/7	0.06
118/1	0.04
176	0.09
183/2	0.08
233	0.02
295	0.08
349	0.03
302	0.03
3	0.03
118/3	0.12
181/2	0.02
223	0.02
287	0.08
304/2	0.05

(1)	(2)
222	0.02
योग	1.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बेलदहरा जलाशय योजना में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कारीपाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.442 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51	0.065
71	0.105
104/1 झ	0.018
63/1	0.016
63/2	0.016
72/2 क	0.222
योग 6	0.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कारीपाट में अर्जूनी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु अर्जित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्र. क्र. 8 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-चांदन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.30 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
34/3 ख	0.11
34/3 ड	0.17
34/3 क, 35/1, 40/2, 43/5 क, 43/6 क	0.78
34/2 ख	0.02
43/11	0.22
योग 05	1.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चांदन वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्र. क्र. 8 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-कसडोल
(ग) नगर/ग्राम-सोनाखान
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.049 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1384/1	0.404
	1384/2	0.405
	758/3	0.344
	758/4	0.089
	1378/3	0.081
	1380	0.101
	760/1	0.028
	1382/1	0.101
	1381	0.134
	760/2	0.065
	1382/2	0.202
	758/1	0.809
	759	0.291
	758/2	0.995
योग	14	4.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सोनाखान के अंतर्गत मखुरहा जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 जनवरी 2008

क्रमांक क/भू-अर्जन/2008/सा. 1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-खुरसियां, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.02 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
284	0.12
283/2	0.10
274	0.06
283/1	0.10
276	0.04
278/5	0.10
277	0.10
273	0.07
272	0.06
263/1	0.16
261, 262	0.10
120/4, 5	0.09
254	0.09
253	0.07
118, 119	0.15
252/3	0.07
693/3	0.06
949	0.07
232/1	0.07

(1)	(2)
233	0.10
76	0.09
234	0.05
235/1	0.09
235/2	0.09
693/2	0.04
180	0.01
180	0.01
401/6	0.11
401/5	0.07
402/2	0.15
402/1	0.18
415/1	0.11
415/3	0.12
420	0.11
444	0.04
448	0.10
520, 522	0.01
490	0.13
421	0.06
424/1	0.03
449/2, 450	0.08
551	0.02
517	0.12
423/3	0.06
446/2	0.17
449/1	0.03
640	0.01
639/1	0.03
542/2	0.08
542/1	0.06
639/2	0.04
536, 544, 545/1	0.18
928	0.08
534/1	0.13
543	0.06
546	0.56
960	0.24
554	0.27
937/1	0.09
512/1, 2	0.11
513	0.11
505	0.20
914/1	0.13
924/2	0.25
929	0.13
935/2	0.07
936/1	0.11
547/2	0.06
550/2	0.16
550/1	0.01
552	0.07
518	0.13
934/2	0.07
519	0.06
229/3	0.09
8/7	0.04
74/1	0.12
74/2	0.05
230	0.05
228/2	0.09
228/1	0.12
185	0.03
188/1	0.07
121	0.06
186	0.06
182, 188/2	0.07
189	0.17
117	0.07
120/2	0.11
82/2, 93	0.09
693/1	0.04
692	0.33
योग 92	9.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खुरसिया माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 जनवरी 2008

क्रमांक क/भू-अर्जन/2008/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.32 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
495	0.36
406	0.01
72	0.06
356	0.19
723	0.07
493	0.21
221	0.27
745	0.05
720	0.24
489/2	0.18
404/2, 405/1	0.21
486/1	0.10
486/2	0.01
467	0.09
468	0.07
470/1	0.05
463, 469/1	0.05
485/2	0.01
357/2	0.04
71/1	0.12
470	0.14
453/2	0.09
451	0.06
365/2	0.15
453/1	0.09
450	0.03
363	0.29
704	0.03
400/4	0.13
247/1	0.11
124/2	0.13
400/1	0.11
220	0.06
402/2	0.09
247/2	0.13
751/2	0.07
121	0.11
403	0.04
702	0.07
722	0.07
352	0.27
344	0.01
275	0.09
274	0.05
273	0.04
267	0.03
268	0.14
266	0.14
411/1	0.12
248/2	0.24
243	0.10
249	0.03
237	0.04
210	0.06
226	0.06
233, 235, 240, 241	0.15
246/2	0.01
113/2	0.05
114	0.02
227, 246/1	0.14
222, 223	0.26
219	0.04
703	0.07
705	0.05
743/2	0.09
236	0.04
701	0.18
700/4	0.10
700/2	0.02
708/2	0.12
710/1, 710/2	0.05
713	0.12
744/1	0.07
824/2	0.06
826	0.01
831	0.10
927	0.05
125	0.10
123	0.21
116	0.07
113/1	0.05
823	0.11

(1)	(2)
824/1	0.01
712	0.13
825	0.04
931	0.09
828	0.11
209	0.06
117	0.12
112	0.08
73	0.05
700/1	0.04
744/2	0.09
721	0.22
711	0.10
926	0.03
योग 96	9.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नवापारा माइनर क्र. 2 एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 16/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-पौंसरी, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.97 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
73	0.26
74	0.24
30/2, 31/1	0.63
30/3, 31/2	0.60
37/2, 38/1, 40, 41, 42, 43, 44/2	0.30
30/5, 31, 34	0.01
27/1, 28, 29, 36, 44/1	0.03
35, 37/1, 38/2	0.90
योग 8	2.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेसुआ व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 17/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-सिलदहा, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.93 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
936/2	0.18
935	0.12
936/1	0.22
110/1, 113/1	0.01
932/1	0.09
932/2	0.30
932/3	0.27
933/3	0.21
976	0.06
973	0.24
975/1	0.11
975/2	0.12
योग 12	1.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेसुआ व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं डिघोरा शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

रा. प्र. क्र. 26/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-दामापुर, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
58/8	0.18
60/1	0.24
योग 2	0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 जनवरी 2008

क्रमांक 23/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-मोतिमपुर, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.48 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
20/1	1.26
20/2	0.22
20/4	0.12
22, 23	0.66
24	0.10
500	0.07
42, 43	0.46
501	0.44
41	0.08
44	0.72
45	0.17
119/5	0.38

(1)	(2)
119/3	0.01
119/4	0.11
120, 121	0.76
126	0.46
122	0.42
123	0.09
125	0.10
124	0.43
132	0.02
127	0.20
128/1, 129/1, 130/1, 155/5	2.35
154	0.20
156	1.16
155/3	0.05
159	0.38
157	0.38
158	0.66
160	1.69
445/1	0.20
162/4	0.03
162/2	0.10
योग 33	14.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तोताकापा रहन नाला व्यपवर्तन योजना के (फिडर) नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2008

क्रमांक/290/ख.लि. 03/2007.—गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अन्तर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण के सामंग्री के रूप में उपयोग में लायी जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिए भट्ठी में जलाकर उपयोग में लिया जाने वाला चूना पत्थर उत्खनि पट्टा पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टेदार का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नं.	रकबा एकड़ में	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	श्री अमृतपाल सिंह, अरोरा, आ. श्री हरजीत सिंह अरोरा, खण्डुपारा, डोंगरगढ़, राजनांदगांव.	डुमरडीहकला	राजनांदगांव	35/2	2.34	चूना पत्थर	निजी भूमि	पट्टा अवधि समाप्त होने के कारण
2.	श्री अजय सिंह, कैलाश नगर, राजनांदगांव.	मोखली	डोंगरगांव	113, 434/1	1.20	चूना पत्थर	निजी भूमि	पट्टा अवधि समाप्त होने के कारण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	श्री कुलबीर सिंह छाबड़ा, आ. श्री गुरूचरण छाबड़ा, सोनारपारा, राजनांदगांव.	पचपेड़ी	खैरागढ़	41	3.00	चूना पत्थर	निजी भूमि	पट्टा अवधि समाप्त होने के कारण
4.	श्री रितेश कुमार ओसवाल, आ. स्वरूपचंद ओसवाल, गंज लाईन, राजनांदगांव.	चंवरढाल	राजनांदगांव	566/1, 568	2.78	चूना पत्थर	निजी भूमि	पट्टा अवधि समाप्त होने के कारण

टीप :— भूमि स्वामी की सहमति अनिवार्य होगी.

संजय गर्ग,
कलेक्टर.